2018 का विधेयक संख्यांक 102

[दि माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवेलपमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2018

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 का संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) अधिनियम, 2018 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 7 का संशोधन ।

2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 में,--

2006 का 27

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(1) केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11ख में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के

1951 का 65

लिए अधिसूचना द्वारा और उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे या सेवाएं प्रदान करने या देने में लगे हुए उद्यमों के किन्हीं वर्ग या वर्गों को, चाहे स्वामित्व, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम, सहकारी सोसाइटी, भागीदारी फर्म, कंपनी या उपक्रम हों, चाहे वे जिस नाम से ज्ञात हों, निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत कर सकेगी,--

(i) किसी सूक्ष्म उद्यम के रूप में, जहां वार्षिक आवर्त पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ;

(ii) किसी लघु उद्यम के रूप में, जहां वार्षिक आवर्त पांच करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु पचहत्तर करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ;

(iii) किसी मध्यम उद्यम के रूप में, जहां वार्षिक आवर्त पचहत्तर करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु ढाई सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ;

(1क) केंद्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, ऐसी आवर्त सीमाओं में फेरफार कर सकेगी, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से तीन गुणा से अधिक नहीं होगी ।";

(ख) उपधारा (9) में,--

(i) "विनिधान के मानदंड" शब्दों के स्थान पर, "वार्षिक आवर्त के मानदंड" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "लघु उद्यमों के भाग के रूप में" शब्दों के स्थान पर, "लघु और मध्यम उद्यमों के भाग के रूप में" शब्द रखे जाएंगे ।"।

धारा 14 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) में, "की उपधारा (1)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (उक्त अधिनियम) को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की अभिवृद्धि और विकास को सुकर बनाने और उनकी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था । उक्त अधिनियम में अन्य बातों के साथ, उद्यमों को संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में उनके निवेश पर आधारित सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत करने का उपबंध है । कुछ समय से इसे वर्तमान समय और बदलती हुई कारबार की अर्थ प्रणाली की आवश्यकतानुसार करने के लिए उक्त वर्गीकरण के मानदंड में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जाती रही है ।

2. विभिन्न पणधारियों के साथ परामर्श के दौरान यह पाया गया है कि संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में निवेश के मानदंड में सहबद्ध संव्यवहार लागतों वाले भौतिक सत्यापन की आवश्यकता है । इससे उद्यमों के संप्रवर्तकों में सूक्ष्म या लघु उद्यमों के प्रवर्ग से सहबद्ध फायदे प्रतिधारित करने के लिए किसी विशिष्ट कारबार सत्ता में निवेश आकार को लघु रखने की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलता है । विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करते समय यह उचित समझा गया है कि यदि वार्षिक आवर्त को वर्गीकरण के मानदंड के रूप में लिया जाता है, तो माल और सेवा कर नेटवर्क और अन्य स्रोतों के पास उपलब्ध सूचना का प्रयोग उद्यमों के प्रवर्ग का अवधारण करने के लिए किया जा सकता है । कुल मिलाकर आवर्त आधारित वर्गीकरण से कारबार करने की सुगमता में अभिवृद्धि होगी और इससे गैर-वैवेकिक, पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ वर्गीकरण प्रणाली स्थापित होगी ।

3. पूर्वोक्त दृष्टि से, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7 का संशोधन करने का प्रस्ताव निम्नलिखित के लिए है,--

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के वर्गीकरण के मानदंडों में संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में निवेश के विद्यमान मानदंडों में परिवर्तन करके उद्यमों के वार्षिक आवर्त पर आधारित नए मानदंडों का उपबंध करना ;

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा आवर्त सीमाओं में फेरफार करने की शक्ति प्रदत्त करना, जो धारा 7 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से तीन गुणा से अधिक नहीं होगी ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ; **गिरिराज सिंह**

22 मार्च, 2018.

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड (2) का उपखंड (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7 में उपधारा (1क) अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार को, अधिसूचना द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण से संबंधित आवर्त सीमाओं में फेरफार करने की शक्ति प्रदत्त की जा सके ।

2. वे विषय, जिनकी बाबत प्रस्तावित विधान के अधीन अधिसूचना जारी की जा सकेगी, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 27)

* * * * * *

अध्याय 3

उद्यमों का वर्गीकरण, सलाहकार समिति और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का ज्ञापन

उद्यमों का वर्गीकरण ।

1951 का 65

7. (1) केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11ख में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा और उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, उद्यमों के किन्हीं वर्ग या वर्गों को, चाहे स्वामित्व, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्ति संगम, सहकारी सोसाइटी, भागीदारी फर्म, कंपनी या उपक्रम हों, चाहे वे जिस नाम से ज्ञात हों, निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत कर सकेगी,–

1951 का 65

(क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे उद्यमों की दशा में,–

(i) ऐसा सूक्ष्म उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं है;

(ii) ऐसा लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रुपए से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है; या

(iii) ऐसा मध्यम उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है;

(ख) सेवाएं उपलब्ध कराने या देने में लगे उद्यमों की दशा में,–

(i) ऐसा सूक्ष्म उद्यम, जहां उपस्कर में विनिधान दस लाख रुपए से अधिक नहीं है;

(ii) ऐसा लघु उद्यम, जहां उपस्कर में विनिधान दस लाख रुपए से अधिक है, किन्तु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है; या

(iii) ऐसा मध्यम उद्यम, जहां उपस्कर में विनिधान दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ।

स्पष्टीकरण 1–शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि संयंत्र और मशीनरी में विनिधान की संगणना करने में प्रदूषण नियंत्रण, अनुसंधान और विकास, औद्योगिक सुरक्षा युक्तियों और ऐसी अन्य मदों की लागत को, जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2–यह स्पष्ट किया जाता है कि उद्योग (विकास और विनियमन)

1951 का 65

अधिनियम, 1951 की धारा 29ख के उपबंध, इस धारा की उपधारा (1) के खंड (क) के

उपखंड (i) और उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट उद्यमों को लागू होंगे ।

* * * * * *

(9) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11ख और खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन उद्यमों के किसी वर्ग या वर्गों को वर्गीकृत करते समय, विनिधान के मानदंड में समय-समय पर, फेरफार कर सकेगी और उद्यमों के नियोजन या आवर्त के संबंध में मानदंड या मानकों पर भी विचार कर सकेगी तथा ऐसे वर्गीकरण में सूक्ष्म या छोटे उद्यमों को ग्राम उद्यमों को लघु उद्यमों के भाग के रूप में सम्मिलित कर सकेगी । 1951 का 65 1956 का 61

* * * * * *

निधि या निधियों का प्रशासन और उपयोग ।

14. (1) * * * * *

(2) निधि या निधियों का उपयोग अनन्य रूप से धारा 9 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उपायों के लिए किया जाएगा ।

* * * * * *

MGIPMRND—5191LS(CRC)—28-3-2018.